पत्रांक–7 / जा.नि.–19–06 / 2008 का०– 3376

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

आर०एस० शर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी विभाग
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

रांची, दिनांक 05 जून, 2008

विषय : जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजति / अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या–3540, दिनांक 03.07.2004 में निम्न प्रावधान किया गया है:–

"सरकार की यह स्पष्ट मंशा रही है कि जाति प्रमाण–पत्र पाने की पात्रता रखने वाले लोगों को जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की अनावश्यक कठिनाई नहीं हो। साथ ही सरकार की यह भी अपेक्षा है कि जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में सक्षम पदाधिकारी समुचित विवेक का प्रयोग करते हुए अवांछित व्यक्यिों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं करें।"

"सामान्यतः जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु भू–अभिलेख / पंचायत / नगर पंचायत / नगरपालिका / नगर निगम / निबंधन कागजातों के आधार पर किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण किया जा सकता है। तथापि यदि किसी व्यक्ति द्वारा उल्लिखित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सके तो ईमानदारी पूर्वक स्थानीय जांच कर जाति का निर्धारण किया जा सकता है।"

"स्थानीय जांच के क्रम में जांच पदाधिकारी द्वारा जांच की सही प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए ताकि गलत प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं हो सके। कोई भी जाति प्रमाण–पत्र उपयुक्त सत्यापन के पश्चात् तथा निर्गत करने वाले पदाधिकारी के स्वयं संतुष्ट होने के आधार पर ही निर्गत किया जाय।"

उल्लेख करना है कि विभिन्न श्रोतों से सरकार को समय–समय पर सूचना मिलती है कि जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे कभी–कभी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः अनुरोध है कि विभाग द्वारा इस विषय पर निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। सुलभ प्रसंग हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा इस विषय पर निर्गत परिपत्र को विभाग के वेबसाईट (**jharkhand.gov.in**) पर भी रख दिया गया है।

विश्वासभाजन,

5/1/08

(आर0एस0 शर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव।